न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी जिला दतिया

पु/निगरानी/दतिया/भू.रा/2017/2447

बृजकिशोर पुत्र श्री सुल्तान सिंह कुर्मी निवासी ग्राम पिटसूरा तहसील बडौनी जिला दतिया म0प्र0

—— आवेदक

बनाम

1— शंकरलाल पुत्र श्री भगवान दास

2— राजकुमार पुत्र स्व0 श्री सुन्नूलाल

3— सुनील कुमार पुत्र स्व0 श्री सुन्नूलाल

निवासीगण ग्राम बारी, बडौनी खुर्द ग्राम पिटसूरा तहसील बडौनी जिला दतिया म0प्र0

— अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 19–5–2017 जो कि न्यायालय अपर कलेक्टर जिला दतिया द्वारा प्रकरण कमांक 42/बी–121/2016–17 व उनवान शंकर लाल बनाम बृजकिशोर मे पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 107 (5) म0प्र0 भू राजस्व सहिता 1959 के साथ प्रस्तुत स्थगन आवेदन को को स्वीकार किया गया। ... की ओर से विवादित आदेश के विरूद्ध अन्य कोई

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक –दो/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/2447

बृजकिशोर विरूद्ध शंकरलाल आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
15–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री दर्शन सिंह पटेल एवं अनावेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–दतिया के प्र. क्र. 42/बी–121/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 19–05–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत इस निगरानी को सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 10–07–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 15/5/19	